रासायनिक हथियारों के सौ साल

पूरी एक सदी पहले 22 अप्रैल के दिन जर्मन फौज ने बेल्जियम के एक कस्बे वायप्रेस में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था। यह रासायनिक हथियारों का युद्ध में पहला बड़ा प्रयोग था। जब क्लोरीन गैस छोड़ी गई तो पीला-हरा धुंआं पूरे इलाके में फैल गया और हज़ारों सैनिक मारे गए थे। यह प्रथम विश्व युद्ध की बात है।

इसके पूरे 75 साल बाद 1997 में राष्ट्र संघ के तत्वावधान में युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग के खिलाफ संधि हुई। इसका अनुमोदन 190 सदस्य देशों ने किया है और वचन दिया है कि वे अपने सारे रासायनिक हथियार नष्ट कर देंगे। आज मात्र 6 ऐसे देश बचे हैं जिन्होंने इस संधि का अनुमोदन नहीं किया है - मिस्र, अंगोला, दक्षिणी सूडान, उत्तरी कोरिया, इस्राइल और म्यांमार। रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की इस प्रक्रिया का निरीक्षण रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन करता है।

वर्ष 2013 तक संगठन ने कुल घोषित रासायनिक हथियारों में से 82 प्रतिशत के नष्ट किए जाने की पुष्टि की है। अब घोषित रासायनिक हथियार सिर्फ पांच देशों में बचे हैं, जिनमें अमेरिका और रूस शामिल हैं। संगठन को उम्मीद है कि 2023 तक सारे रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे। मगर इस काम में कई बाधाएं हैं।

एक बड़ी बाधा यह है कि कई रसायन ऐसे हैं जिनका दोहरा उपयोग है - इन्हें युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और समाज के भले के लिए भी। जैसे क्लोरीन का उपयोग पेयजल को सुरक्षित बनाने में किया जाता है। ऐसे रसायनों के भंडारों की घोषणा करना देशों के लिए ज़रूरी नहीं है। संगठन सिर्फ घोषित हथियारों का ही निरीक्षण करता है।

एक और बाधा यह है कि जहां युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग पर रोक है, वहीं आंतरिक पुलिस-कार्य में इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। देखा जाए तो अश्रु गैस रासायनिक हथियार की श्रेणी में आती है और युद्ध में इसका उपयोग प्रतिबंधित है। मगर आंतरिक रूप से भीड़ को नियंत्रित करने या तितर-बितर करने में इसका उपयोग आम बात है। रासायनिक हथियार संधि के तहत इस तरह के उपयोग को लेकर जल्दी ही चर्चा होने की संभावना है।

इसके अलावा सदस्य देशों के लिए उन रासायनिक हथियारों की घोषणा करना अनिवार्य नहीं है जो जानलेवा नहीं हैं बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए व्यक्ति को असमर्थ बनाते हैं। दिक्कत यह है कि ये व्यक्ति प्रायः जान से हाथ धो बैठते हैं - रसायन के असर से प्रत्यक्ष रूप से या रसायन के कारण पैदा हुई असमर्थता के चलते।

इस तरह की समस्याओं के चलते रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध सिर्फ संधि के माध्यम से होना संभव नहीं लगता। संगठन का मत है कि इसमें जागरूकता और शिक्षा के इनपुट ज़रूरी हैं। कुछ डॉक्टर्स (जैसे मानव अधिकार के पक्षधर चिकित्सक) मानते हैं कि बचाव कार्य करने वालों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे खुद को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद कर पाएं और ऐसे सबूत भी सहेज पाएं जो बाद में आपराधिक मुकदमे में काम आ सकें। ***(स्रोत फीचर्स)***